

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

38

आवासीय क्वार्टर्स के आबंटन हेतु आवेदन फार्म APPLICATION FORM FOR ALLOTMENT OF RESIDENTIAL QUARTERS

1. आवेदक का पूरा नाम Full Name (in block letters) :
2. पदनाम Designation :
3. सेवा की स्थिति (अस्थायी/स्थायी) :
Service Status
(whether Temporary/Permanent)
4. जन्म तिथि Date of Birth :
5. किस तारीख से सरकारी सेवा में लगातार नियोजित हैं :
Date from which continuously
employed in Govt. service
6. वैवाहिक स्थिति Marital Status :
7. वर्तमान वेतन लेवल Present Pay Level :
8. वर्तमान मूलवेतन Present Basic Pay :
9. आवेदन की तारीख तक आबंटित सरकारी आवास का विवरण :
Particulars of Govt. Residence
allotted on the date of application
10. क्या आपकी पत्नी/पति को अन्यत्र सरकारी क्वार्टर्स :
आबंटित किया गया है, यदि हो तो उसका विवरण दें
Whether your Spouse has been allotted
Govt. Quarters elsewhere.
If so, the details thereof
11. परिवार के सदस्यों का विवरण- स्वयं सहित
Details of the members of family including self:

Sl No.	Name	Age	Relationship	Profession If any,	Whether dependent or not
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

12. क्या अधिकारी को सरकारी आवास से पहले :
रोका गया है, यदि हों तो अवधि बताएं
Whether the officer is debarred from
Govt. accommodation, if so,
state the period
13. पसंदीदा विकल्प, यदि कोई हो :
Preferred choice, if any

14. क्या नियमानुसार कोई भी अनुकूल आबंटन स्वीकार्य है :
(पंसदीदा विकल्प के अलावा)
Whether willing to accept any allotment
As per rules (other than preferred choice)
15. आवेदक का स्थानीय स्वयं के मकान, फ्लोर इत्यादि :
का विवरण, यदि कोई हो।
Details of Own house, floor, etc. of the
applicant in local, if any.
16. स्थायी/गृहनगर का पता :
Permanent / Home Town address

घोषणा / DECLARATION

मैं समय समय पर यथासंशोधित या संबंधित आबंटन नियम और सरकारी आवास के आबंटन नियम, संस्थान की प्रक्रिया की शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ।

I agree to abide by the Allotment of Government Residences Rules, SOP of the Institute as amended from time to time or relevant allotment rules as applicable.

मुझे पात्र टाइप के आबंटित आवास को स्वीकार न करने या गलत सूचना देने, उपभाडे में उठाने और प्रांगण के गलत इस्तेमाल के लिए लगाये गये दंड की जानकारी है।

I am aware of the penalties, which can be imposed in the event of refusal of acceptance of allotment of accommodation of the entitled type or furnishing of false information, subletting / misuse of the premises.

मैं वचन देता हूँ/देती हूँ कि मैं विभागाध्यक्ष के लिखित पूर्वअनुमोदन के अपने आवास का सम्पूर्ण या आंशिक भाग उपभाडे में नहीं उठाऊँगा/उठाऊँगी। जब मुझे आवास की आवश्यकता नहीं होगी या जब मुझे इसकी पात्रता से रोका जाएगा तो उसको खाली करके उसका कब्जा सीमाशुल्क/केन्द्रीय उत्पादशुल्क विभाग को सौंपना मेरी जिम्मेदारी होगी और जब तक खाली करके कब्जा नहीं दिया जाएगा तब तक आवास का किराया और अन्य भाडा मुझसे वसूल किया जाएगा।

I undertake not to sublet the residence wholly or in part without the prior approval in writing of the Head of the Department. When the residence is no longer required by me or I cease to be entitled to it, I shall be responsible for handing over its vacant possession to the Customs / Central Excise etc., department and until such vacant possession is delivered, rent and other charges in respect of this residence shall be recoverable from me.

मैं आगे घोषणा करता/करती हूँ कि मैं और मेरी पत्नी या पति / बच्चे मेरी तैनाती के स्थान पर या उसके पास के किसी आवास स्थान का स्वामित्व नहीं है।

I further declare that neither I nor my Spouse / Children owns a house at or nearer the station of my posting.

तारीख Date_____

हस्ताक्षर Signature_____